# प्रवेश अनुभाग

## **Admission Manual**

## प्रवेश निर्देशिका



विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे University Road, Behind Transport Nagar हल्द्वानी 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड Haldwani 263139, Nainital, Uttarakhand

Toll free No. ਟੀल फ्री: 18001804025 (10 am to 5 pm on working days) Email: info@uou.ac.in Website: http://uou.ac.in मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक हो गई है।


#### प्रवेश

प्रत्येक शिक्षार्थी/ अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार शिक्षार्थी सहायता केन्द्र चुनने की स्वतन्त्रता होती है। छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ उनके लिए परामर्श सत्रों तथा प्रयोगात्मक कार्यों की व्यवस्था भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा ही की जाती है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक छात्र अपने विश्वविद्यालय से निरन्तर सम्बद्ध रहता है।


- सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाईन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिड कार्ड/क्रेडिड कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से किया जाता है।
- 'आनॅलाइन' प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हैं, एंव दिये गये प्रारूप में अपने हस्ताक्षर से आवेदक की घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं
- विश्वविद्यालय में वर्ष में एक अथवा दो बार प्रवेश दिया जाता है।
- यू.जी.सी. निर्देशों के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित हैं।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कुल 124 शिक्षार्थी सहायता केन्द्र/ अध्ययन केन्द्र कार्यरत हैं।
- विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी तथा देहरादून में दो आर्दश शिक्षार्थी सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- शहीद सैनिकों की विधवाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है।
- राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी एवं सरदार मिहपाल राजेन्द्र डिग्री कालेज, सिहया में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति श्रेणी की मिहलाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
- कारागारों में स्थित विशेष अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले कैदियों को पाठ्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क आदि में पूर्ण रूप में छूट प्रदान की जाती है।
- ऐसी महिलाएं जो 50 प्रतिशत दिव्यांग हैं को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाती है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियां मान्य होती हैं जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/ मान्यता प्रदान की गई हो।

- केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाते हैं।
- सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि
  किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में
  अनिवार्य दशा होतीहै।
- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरणिका में दिया जाता है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक आवेदक का नामांकन स्वत: हो जाता है और एक नामांकन संख्या आवंटित की जाती है जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करती है। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाता है, जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है।
- ऐसे शिक्षार्थी जो अपनी महत्तम अवधि के भीतर भी अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पुन: प्रवेश का प्रावधान विद्यमान है।
- विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रविष्ठि के तहत भी प्रवेश का प्रावधान है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू किये जाते हैं।
- विश्वविद्यालय में विदेशी अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु भी निश्चित प्रावधान किये गये हैं।

## ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया







### कृपया प्रवेश से पूर्व यह जांचें कि आपके प्रमाण पत्र वैध हैं और आप प्रवेश की निर्धारित अर्हता रखते है।

Please check before admission that your certificates are valid and you carry the prescribed eligibility.

4. प्रवेश

4. Admission

#### 4.1 प्रवेश नियम

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अधिकृत शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में लिया गया प्रवेश ही मान्य होगा।

विश्वविद्यालय में पंजीकृत किसी भी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपने A learner enrolled in any Programme of the University अगले सेमेस्टर या कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम / अंकतालिका के may seek admission in next semester or class even प्रवेश ले सकते हैं।

before declaration of result or issue of mark sheet.

#### 4.1 Admission Rules

Admission only at authorized Learner Support within the Uttarakhand State will be accepted <mark>प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया ध्यान दें</mark> ( बिन्दु 1 से 3 का पालन न करने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा)

- 1 प्रवेश आवेदन पत्र में केवल **स्वयं का मोबाइल** फोन नम्बर दें, एक मोबाइल फोन नम्बर से केवल एक ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 प्रवेश आवेदन पत्र में केवल **स्वयं का ई-मेल आई-डी** दें, एक ई-मेल आई-डी से केवल एक ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा।
- 3 प्रवेश आवेदन पत्र में केवल **स्वयं का आधार नम्बर** दें।

#### 4.1.1 अकादमिक सत्र

4.1.1 Academic Session

विश्वविद्यालय में वर्ष में एक अथवा दो बार प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पर आधारित होंगे। सेमेस्टर प्रणाली में सेमेस्टर की अवधि छः माह होगी। -

1. ग्रीष्म कालीन सत्र - (प्रवेश अगस्त से प्रारम्भ)

There shall be one or two admission cycles of examination. The programmes are offered either in semester or annual examination mode. In semester mode, one semester lasts for six months.

1. Summer Session (Admissions commencing from August)

प्रवेश तिथि

#### **Date of Admission**

	सत्र		Session
प्रवेश	अगस्त सत्र	Admission	August Session
आरम्भ की तिथि		Opening Date	
प्रवेश आरम्भ की तिथि	01 सितम्बर	Admission Opening Date	01 September
प्रवेश की अंतिम तिथि	30 नवम्बर	Admission Closing date	30 November

#### 4.1.2 ऑनलाइन प्रवेश

सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाईन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिड कार्ड/क्रेडिड कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से किया जाना होगा।

'आनॅलाइन' प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मुल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एंव दिये गये <mark>प्रारूप में अपने हस्ताक्षर</mark> <mark>से प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।</mark> 'ऑफलाइन' प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों

#### 4.1.2 Online Admission

Online admission is available in all programmes. In this mode the fee can be paid only through the payment gateway (debit/credit card or Net Banking).

The applicants taking admission through Online mode shall attach their scanned original documents with the application form and submit a signed certificate in the

को आवेदन पत्र के साथ अपने मुल प्रपत्रों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित लिख आवेदन पत्र के प्रारूप में स्व-हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन प्रवेश में विद्यार्थी को मुल प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त होगी।

given format. The applicants taking admission through Offline mode shall enclose the self attested photocopies of their original document and attested photocopies of their original document and a signed certificate in the given form. In case of the online admission scanned copies of the original testimonials shall be uploaded by the learners.

Compulsion of submission of hard copies of online admission form is revoked.

#### 4.1.3 ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहने वाले छात्रों के लिए

यदि कोई छात्र ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहता है (पाठ्यसामग्री If the student opting for the online course material( The विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पोर्टल elearning.uou.ac.in से डाउनलोड करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी) तो ऐसे छात्र को उसके कार्यक्रम के चुने हुए वर्ष के कार्यक्रम शुल्क में 15% की छूट प्रदान की जायेगी।

#### 4.1.3 Students opting for online Course material

SLM shall have to be downloaded from the University Website portal elearning.uou.ac.in and hard copy of the course material shall not be provided by the University) shall be given 15% discount on the programme fee for the selected year.

#### **4.1.4** नामांकन

नामांकन स्वत: हो जायेगा और एक नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करेगी। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाएगा जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है। ऑफलाइन आवेदकों की प्रविष्ठि शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा की जायेगी।

#### 4.1.4 Enrollment

विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक का After seeking admission in the University, each online applicant will be issued an enrollment number automatically. The enrollment number acts as a unique identification number. The enrollment number is issued only once and is mentioned on the mark sheets, certificates and degrees of the learners. Offline applicants shall be given enrollment through their Learner Support centers.

#### 4.1.5 पुन: प्रवेश

विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in

#### 4.1.5 Re-admission

For details see the website www.uou.ac.in

#### 4.1.6 पार्श्व प्रविष्ठि

विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in

#### 4.1.6 Lateral Entry

For details see the website www.uou.ac.in

#### 4.1.7 शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन संबंधी नियम

दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नि:शुल्क किया

शिक्षार्थियों के शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात 30 दिनों के भीतर नि:शुल्क किया जायेगा।

नि:शुल्क परिवर्तन की 30 दिनों की अवधि के पश्चात अगले 30 दिनों तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन करने पर विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करेगा तथा अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा। यद्यपि ऐसे प्रकरणों पर विश्वविद्यालय विचार करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

#### 4.1.7 Rules for Change in Learner Support Centre

Change of study center for physically challenged learner shall be of free of cost.

Change of learner support center shall be free of cost within 30 days from the last date of admission.

After the 30 days of free of cost change of learner support center, in the following 30 days change of learner support center shall be allowed if the learner applies through learner support center with no dues certificate of the center and Rs. 1000/- as fee for the change of learner support center. Such application shall be decided upon by the तत्पश्चात सत्र पुरा होने तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नहीं किया University and its decision shall be final. जा सकेगा After this period no change of learner support center shall असाधारण परिस्थिति में किसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के स्वत: बन्द होने be allowed till the end of the Session. या विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र बन्द किए जाने की स्थिति In an extra ordinary situation like self closure of the learner में शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नि:शुल्क किया जाये। support center or Closure of learner support center by the विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान University, the change of learner support center shall be परिवर्तन होने पर, किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में कुलपति free of cost. जी की विशेष अनुमति पर रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी In the special cases like transfer of guardian or transfer of सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा। student itself or marriage of a female student, change of विद्याथियों को प्रवेश के लिए आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ अन्य संवैधानिक learner support center shall be allowed with due permission पहचान पत्र आवश्यक होगा। of Vice Chancellor and a fee of Rs. 1000/-. Aadhar card/ passport/other legal identity card shall be mandatory for the admission. 4.1.8 पहचा**न** पत्र 4.1.8 Identity Card विद्यार्थी प्रवेश के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाइट से अपना पहचान Student can download Identity card from the website of the पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। University. 4.1.9 प्रवेश में आरक्षण की नीति 4.1.9 Policy of Reservation in Admission विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर Reservation Policy of the State Government will be निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे। applicable in admission. 4.1.10 शुल्क वापसी 4.1.10 Fee Reimbursement आरक्षित श्रेणी के छात्रों की शुल्क वापसी के आवेदन पत्रों, जो निर्धारित As per the fee refund scheme, the application of the तिथि तक प्राप्त होंगे, को विश्वविद्यालय द्वारा शासन के संबंधित विभाग students from reserved category is forwarded to the की शुल्क वापसी योजना के अनुरूप शासन के संबंधित विभाग को Concerned Department. अग्रसारित किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा यदि वैबसाइट/विवरणिका में दिये गये शुल्क वापसी प्रपत्र के Application for fee refund shall be accepted in the अतिरिक्त साधारण प्रपत्र पर शुल्क वापसी के लिए आवेदन किया गया हो prescribed Fee Reimbursement Form given in the तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। website/prospectus as well as in a plain paper. विद्यार्थी की शुल्क वापसी केवल उसी सत्र में मान्य होगी जिस सत्र में Reimbursement of fee shall be applicable only in that उसने प्रवेश लिया है। session in which admission is sought. प्रवेश की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर शुल्क वापसी की प्रक्रिया Process of reimbursement of fee is to be completed within पर्ण कर ली जाये। two month after the last date of admission. किसी कार्यक्रम में प्रवेश में यदि तकनीकी कारणों से भुगतान दो बार हो lf due to a technical problem double-payment is made जाता है तो ऐसी स्थिति में एक भुगतान वापस किया जायेगा। through digital payment, in such a situation one payment शुल्क वापसी के ऐसे आवेदन पत्र जिनका शुल्क भुगतान चालान द्वारा shall be refunded. किया गया हो, यदि एस.आई.एस. में प्रविष्ठि से पहले प्राप्त हो जाते हैं तो If the application of cancellation of those admission forms सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी। whose payment is made by challan is received before the विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की प्रविष्ठि न होने 100 प्रतिशत application entry in SIS then total fee shall be refunded. शुल्क वापसी If the entry of admission form is not done in the University,

विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो तो का 100 then 100% fee shall be refunded. प्रतिशत शुल्क वापस किया जायेगा

यदि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री दिये जाने के पूर्व प्रवेश निरस्त हेत् अनुरोध किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क का 90 प्रतिशत वापस किया If the Student requests for cancellation of admission before

अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात यदि विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निरस्त एवं शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो तो ऐसे आवेदन पर सम्पूर्ण शुल्क का 50 प्रतिशत वापस किया जायेगा यदि विद्यार्थी द्वारा पुस्तकें वापस कर दी गई हों।

अनुचित/असत्य/अयोग्य प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी नहीं होगी।। कार्यक्रम पुर्ण करने के उपरान्त एवं भविष्य में कोई अन्य कार्यक्रम न करने की स्थित में विद्यार्थी की यदि कोई राशि अवशेष है तो उसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वापस किया जायेगा।

ऐसे विद्याथियों को उनकी अवशेष राशि कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात केवल एक वर्ष के भीतर ही दावा करने पर वापस की जा सकेगी।

\* सम्पूर्ण शुल्क का तात्पर्य समस्त शुल्क से है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, कार्यशाला, परीक्षा, प्रयोगात्मक, मौखिकी, डिग्री और विविध शुल्क सम्मिलित हैं।

If the University suspends/closes a Programme then 100% of the grand total\* of fee shall be refunded.

the study material have been delivered then 90% of the grand total of fee shall be refunded.

If the student requests for cancellation after the study material have been delivered then 50% of the grand total of fee shall be refunded if the student returns the books.

If admission is cancelled by the University on the ground of wrong/fake/ineligible certificates then fee shall not be refunded.

In a situation like completion of a programme by a learner who is not interested in doing other programme in the future if any extra amount is due on the University, that shall be refunded on the application of such learner.

Such amount shall be refundable on the application of the learner within an year after the completion of the programme only.

\* Grand Total means total fees which include Program fee, project, workshop, examination, Practical, viva-voce, degree etc.

#### 4.1.11 पाठ्यक्रम / विषय / कोर्स में परिवर्तन

प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात एक माह के अंदर अध्ययन केन्द्र से पाठ्यसामग्री का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ऐच्छिक विषय/ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।

विद्यार्थी को नये कार्यक्रम की अर्हता से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। पाठुयक्रम में परिवर्तन का प्रावधान प्रवेश-परीक्षा के द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागु नहीं होगा।

पाठ्यक्रम परिवर्तन की दशा में यदि नए पाठ्यक्रम / विषय का शुल्क कम तो आधिक्य का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा चाहे गए पाठ्यक्रम का शुल्क पूर्व के पाठ्यक्रम से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाएगा। दोनों ही दशा में पाठ्यक्रम परिवर्तन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

#### 4.1.11 Change in Programme/ Subject/ Course

Subject/Programme change shall be permitted within one month after the last date of admission in this session if no dues certificate from the study center is produced.

The learner shall have to produce eligibility documents regarding the new programme.

Programme change shall not be applicable for the learners who have obtained admission through entrance test.

In the case of change in programme/ subject, if the new programme or subject has a lower fee than the programme / subject opted earlier, then the remaining amount will not be adjusted and if the desired programme / subject has a higher fee than the previous programme/ subject opted for by the learner, then s/he will have to pay an additional fee. In both the cases, the fee for change in programme subject will be payable additionally.

उक्त व्यवस्था हेत् शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:

शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन हेतु: रूपये 1000.00

पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु: रूपये 500.00

रूपये 200.00

As per the above mentioned arrangement, the fee is determined as under:

Change of Learner Support Centre: Rs. 1000/-

Change of Programme: Rs. 500/-Change of Subject: Rs. 200/-

#### दो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश /परीक्षा से सम्बन्धी

यदि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी If a student is enrolled in any programme and having के उपरांत इस पाठ्यक्रम को स्थगित रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जाता है, तो इस हेत् निम्न शर्तो के अधीन अनुमति होगी:

- विद्यार्थी द्वारा पहले प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही इस प्रकार के आवेदन स्वीकार्य होंगे।
- प्रथम पाठ्यक्रम को स्थगित किए जाने तथा किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु घोषित तय समयावधि के अंतर्गत निदेशक प्रवेश को विधिवत् आवेदन किया जाना होगा
- प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम के स्थगन एवं द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति उपरांत विद्यार्थी द्वारा द्वितीय प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम को • नियमानुसार पूर्ण करना होगा एवं द्वितीय पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत ही पूर्व में स्थगित रखे गए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की अनुमित होगी।
- उक्तानुसार अनुमित प्रदान किए गए दोनों पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेत् उतनी ही समयावधि मान्य होगी जितनी कि प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम को पुर्ण करने हेतु अनुमन्य है। उदाहरणस्वरूप- यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम बार एम0ए0 पाठयक्रम में प्रवेश लिया जाता है जिसको पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को कुल 6 वर्ष की समयावधि नियमानुसार अनुमन्य है एवं विद्यार्थी द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष उत्तीण करने के पश्चात एम0ए0 पाठ्यक्रम को स्थगन में रखते हए एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेत् आवेदन किया जाता है तो अनुमित की स्थिति में विद्यार्थी को दोनों पाठ्यक्रम प्रथम प्रवेश के समय आवंटित नामांकन संख्या (Enrollment No.) प्राप्ति की तिथि से 6 वर्षों की समयाविध में ही पूर्ण करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में शेष रह गए पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- प्रत्येक दशा में विद्यार्थी को विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एक ही नामांकन संख्या (Enrollment No.) जो विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय आवंटित की गई हो, ही मान्य होगी।
- शिक्षार्थी को किसी एक शैक्षिक सत्र में केवल एक ही डिग्री

#### Admission/Examination in two different Programmes

विद्यार्थी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने passed the first year / semester examination, wishes to suspend that programme and apply for admission in a new संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाने हेत् आवेदन किया programme, he/she can do so if s/he fulfills the following

- Only those students who have successfully passed the first year / semester examination of the Programme in which they are enrolled are eligible for this facility.
- The student seeking to suspend the present programme of study, so as to apply for admission in a new Programme, will duly submit his/her application to the Director, Admission within prescribed date for new admission.
  - Only after successfully completing the second (new) programme of study, the student will be allowed admission in the second year/semester of the previous suspended programme.
    - The student availing this facility will have to complete both the programmes within the time limit permissible at the time of admission in the first programme. For example, if a student enrolled in MA programme, for completing which the prescribed time limit is 06 years, decides to suspend it after passing the first year examination and seeks admission in a new programme, MBA, for example, s/he will have to complete both MA and MBA within 06 years from the date of enrollment in the MA programme, failing which the admission in the incomplete programme will stand cancelled.
  - The enrollment number generated at the time of the student's first admission in any of the UOU programmes will remain valid for all subsequent programmes of study.

पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमित होगी। हालाँकि उसे डिग्री के अतिरिक्त डिप्लोमा या सटिर्फिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी।

A student can study and appear for examination in only one degree programme in a given academic session. However, s/he can opt for admission in Diploma/ Certificate Programme in addition to the degree programmes.

#### 4.1.12 सामान्य नियम

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों द्वारा ही शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किया जायेगा और शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयक इसके लिए पुर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के द्वारा भी प्रवेश आवेदन पत्रों का The University will also verify the admission forms मुल अभिलेखों से मिलान कर यादुच्छ(रैण्डम) सत्यापन किया जायेगा। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रवेश लेने के उपरांत एक माह के भीतर अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जाकर अपने संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करायें।

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने It will be mandatory for the Learner Support Centers to शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में पंजीकृत नये विद्यार्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मुल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किये जाने का प्रमाण पत्र, प्रवेश विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

समाप्त हो गयी है , अत: इस तिथि के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त किसी भी आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, केवल उत्तराखण्ड के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे जिन्होंने वर्ष 2016 के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत द्वितीय अथवा ततीय वर्ष की परीक्षा देकर अपनी उपाधि प्राप्त की है।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेत् उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरण में दिया गया है।

प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।

प्रवेश आवेदन पत्र सम्बन्धित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

#### 4.1.12 General Rules

All educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of student will be certified by the Learner Support Center Coordinator after checking the original documents and accordingly Learner Support Center Coordinator shall be solely liable for it.

randomly by checking the originals if necessary.

It will be mandatory for the students to get their enclosed documents certified by the Learner Support Center within a month after admission.

send a certificate to the Admission Department of Uttarakhand Open University certifying that all the educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of the new students registered in the चुंकि 14 दिसम्बर 2016 से उत्तराखण्ड में व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली Learner Support center have been attested by checking the

> As the private examination system in Uttarakhand has been abolished from 14th Dec.2016, thus no applicant having degree through private examination system after this date will be admitted; only those applications of the students of Uttarakhand will be accepted who have acquired their degree after passing 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> year through private examination system after 2016.

> Only those applicants, who fulfill the required educational qualifications as decided by the Academic Council, are eligible for the programmes offered by the University.

> Only those application forms will be acceptable which are issued and determined by the University.

> Admission forms may be obtained from the concerned Learner Support Centres or the University Headquarters by paying the requisite fee.

अभ्यर्थी का प्रवेश उसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में माना जाएगा, जहाँ An applicant will be enrolled only in that Learner Sup उसने पूरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो / पंजीकरण कराया हो।  े Centre where his/her application forms has been submit केवल पूर्ण स्पष्ट रूप से भरे हुए ऐसे प्रवेश आवेदन पत्र जिनके साथ विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बंधित शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा किरायापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं with self attested copies of testimonials shall be treated valid and acceptable for admission.  विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं स्कूल बोडाँ/ विश्वविद्यालयों/ Only the degrees / certificates issued by institutions were supported to the concerned Learner Support Centre, a with self attested copies of testimonials shall be treated valid and acceptable for admission.	ted.	
विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बंधित शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा forwarded by the concerned Learner Support Centre, a सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं with self attested copies of testimonials shall be treated valid and acceptable for admission.		
विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बंधित शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा forwarded by the concerned Learner Support Centre, a सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं with self attested copies of testimonials shall be treated valid and acceptable for admission.	and	
सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं with self attested copies of testimonials shall be treate valid and acceptable for admission.		
मान्य होंगे। valid and acceptable for admission.	_	
विश्वविद्यालय में प्रवेश हेत् मात्र उन्हीं स्कुल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ Only the degrees / certificates issued by institutions w		
शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियां मान्य होंगी are recognized by / Uttarakhand Madhymik Shil जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को विद्यालयी शिक्षा परिषद Parisad/ University Grant Commission, shall उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/	ksha	
मान्यता प्रदान की गई हो।		
केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, Except for those programmes where entrance examina अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। is conducted, there is a provision for direct admission in other programmes.		
प्रवेश परीक्षा द्वारा आच्छादित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ Those programmes where admission is through entr	ance	
विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय घोषित की जाएंगी। test, the dates of such tests will be declared by University.		
विशिष्ट प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के In special cases, if a learner is permitted admission afte	r the	
पश्चात अनुमन्य प्रवेश पर रू. 2000 का विलम्ब शुल्क देय होगा। last date, s/he will be charged Rs. 2000/- as late fee.		
प्रवेश आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात एक पूर्व घोषित अवधि The application forms will be acceptable till the last da	te of	
तक ही विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। उक्त अवधि के admission. However, there is a provision for acceptance application forms along with late fee charges for particular time period. After the last date, no form will accepted in any case.	or a	
सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम Generally, there is no minimum and maximum age	imit	
आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु for admission in general. However, if there is any such सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य दशा mentioned in any programme, then it will be a manda होगी।	tory	
वर्तमान सत्र के आवेदन पत्र केवल वर्तमान सत्र के लिए ही मान्य हैं।  The application forms pertaining to a particular session valid for that particular session only.	are	
अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अध्ययन केंद्र द्वारा बिना अग्रसारित व विलम्ब से प्राप्त हुए Incomplete or wrongly filled application forms wit आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती being duly forwarded to Study Centre, and application		
है कि वे आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरेंगे received after due date of admission shall be cance		
तथा कोई वांछित सूचना न तो छिपाएंगे और न ही गलत ढंग से प्रस्तुत Therefore, applicants are advised to fill up all	Therefore, applicants are advised to fill up all the information carefully. They should neither hide any	
आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्व- It is mandatory to produce all the necessary self atte	sted	

प्रमाणित तथा संबंधित अध्ययन केंद्र द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।	photocopies of one's testimonials, duly verified by the concerned study centre.
अनुबन्ध किया है, उनके लिए प्रवेश विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित संस्थानों की प्रवेश नीति के आधार पर होगा।	Admissions for those programmes which are being offered in a collaborative mode, shall be granted permission as per the admission policy of Uttarakhand Open University or the concerned collaborators.  One correction in any one out of his/her name, mother's name, father's name and date of birth shall be without fee but for more than one correction the fee shall remain as earlier.
4.1.13 अपूर्ण एवं देर से प्राप्त आवेदन पत्र	4.1.13 Incomplete forms and forms received after due date
आवेदन पत्रों को विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किया जाना उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से ही सम्भव होगा। 4.1.14 आवेदन पत्र भेजने हेतु निर्देश प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप एवं निर्देश विवरणिका के अन्त में संलग्न है। कृपया परिशिष्ट I एवं II का अवलोकन करें। विद्यार्थी दिए गए निर्देशों के	The University has the right to cancel incomplete application forms and also those that are received after due date. However, such forms may be accepted only after the approval of the competent authorities with late fee charges.  4.1.14 Instructions for sending application forms  The application form for admission and directions for filling it, are attached at the end of this Prospectus. Please refer to Annexure I & II for the same. Learner may fill
सकता है।	application form as per the guidelines and submit the same to the nearest study centre.
4.1.15 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भेजने हेतु निर्देश	4.1.15 Instructions for Sending Online Application Forms
	Learners may also fill application forms online. The students who opt for online admission, shall not have to pay Rs.100/- towards the prospectus. The directions for filling online application form are given at the end of this prospectus. See Annexure II.
4.1.16 विदेशी अभ्यर्थियों का प्रवेश	4.1.16 Admission of foreign students
विदेशी आवेदकों के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रमाणकों तथा उनकी अर्हता की प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त जाँच की जाएगी।	All information provided by the foreign applicants, together with their certificates and qualifications, will be duly verified in the University.
के परिसंघ के द्वारा जारी 'समानता प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना आवश्यक	With regard to the eligibility criteria, students from foreign countries will be required to procure an Equivalence Certificate, issued by the Association of Indian Universities. (AIU) (A sample of this certificate can be taken from the AIU website).

उक्त बिन्दु 1 तथा 2 में अर्हता सुनिश्चत हो जाने के पश्चात ऐसे आवेदकों Once the student fulfills the eligibility requirements, as को कुलसचिव के द्वारा आशय - पत्र जारी किया जाएगा।

इस आशय- पत्र की सहायता से विदेशी अध्ययनार्थी अपने द्तावास से भारत सरकार के नियमों के अर्न्तगत 'विद्यार्थी वीजा' प्राप्त करेंगे।

वैद्य 'विद्यार्थी वीजा' प्रस्तुत करने पर ही विदेशी अध्ययनार्थियों को विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा। नेपाली, भूटानी अथवा तिब्बती मूल के अध्ययनार्थियों को स्थानीय visa'. पुलिस के द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश दिया जा सकेगा तथा इन अध्ययनार्थियों को इस विश्वविद्यालय के अध्ययनार्थी रहते हुए सम्पूर्णअवधि में इस हेतु निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में बनाए गए नियम नेपाली/भृटानी/तिब्बती/अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों द्वारा स्वतः ही पालन किए जाने योग्य होंगे, और इन नियमों का उल्लघंन करने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

mentioned in point's number 1 and 2, a Letter of Intent will be issued by the Registrar.

With the help of the Letter of Intent, the students from foreign countries will be able to obtain 'student-visa' from the embassies of their respective countries.

A foreign student will be granted admission in the University only when he/she produces a legal 'student-

Students from Nepal, Bhutan and Tibet will be granted admission as per the rules of the local Police Department. Furthermore, these students will have to abide by the भारत सरकार/राज्य सरकार/गृह विभाग तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा University rules as long as they remain the bona-fide students of the University.

> It is expected of the students from Nepal, Bhutan, Tibet and other foreign countries that they follow the rules framed by the Government of India, Ministry of Home Affairs, State Government and local Police Department. However, if these students are found flaunting the rules, the University will have the rights to cancel their admission.